न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2013/00037

1. चौथमल आत्मज पांच्या उर्फ पांचूलाल जाति माली निवासी रामधन चौराहा लाखेरी (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   1/1. रूकमणी बाई आयु 65 वर्ष पत्नी चौथमल जाति माली निवासी रामधन चौराहा लाखेरी इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
   1/2. राजू सैनी आयु 46 वर्ष पुत्र चौथमल जाति माली निवासी रामधन चौराहा लाखेरी इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
   1/3. सतपाल सैनी आयु 42 वर्ष पुत्र चौथमल जाति माली निवासी रामधन चौराहा लाखेरी इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
   1/4. लक्ष्मीबाई आयु 38 वर्ष पुत्री चौथमल पत्नी रामलाल जाति माली निवासी पुलिस लाईन कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बालकिशन रायका अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 14.12.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.03.2011 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी (मृतक) चौथमल अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में खसरा नम्बर 2917 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 2918 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 2919 रकबा

0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 2921 रकबा 0.17 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 0.77 हैक्टर भूमि वादी के कब्जे काश्त अधिकार व स्वामित्व की है । उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड सिवायचक दर्ज है । वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2917 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 2918 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 2919 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 2521 रकबा 0.17 हैक्टर कुल 04 किता के सेटलमेंट सन् 1995 से 2015 से पूर्व खसरा नम्बर 2534 थे और सेटलमेंट संवत् 2022 से 2041 के पूर्व के खसरा नम्बर 1683/2 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1686/1 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा थे । सेटलमेंट से पूर्व के खसरा नम्बर 1683/2 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1686/1 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि वादी के बडे भाई जगन्नाथ आत्मज पाथ्या के आवंटन हुई थी । आवंटन कब्जे के आधार पर नियमन किया था व नियमन का पट्टा प्रार्थी के बडे भाई जगन्नाथ के नाम जारी किया गया था जो दिनांक 27.07.1971 पट्टा नम्बर 639 था । जगन्नाथ को पासबुक भी जारी की गई थी तब से वादी का बडा भाई उक्त भूमि का विधिक खातेदार कृषक था। वादी के बडे भाई जगन्नाथ की मृत्यु दिनांक 23.03.1996 को हो गई और जगन्नाथ उक्त भूमि के खातेदार कृषक थे परनतु काश्त दोनों मिलकर करते थे । जगन्नाथ लाऔलाद फौत हो जाने से वादी उनका उत्तराधिकारी होने से उक्त भूमि का मालिक खातेदार है । सेटलमेंट ने बिना किसी नोटिस व सूचना के संवत् 2022 से 2041 में जगन्नाथ की नियमन भूमि का इन्द्राज बदल कर सिवायचक दर्ज कर दिया जिसका सेटलमेंट अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं था । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने भाई की कृषि भूमि का इन्द्राज दुरूस्त करवाये और उसको अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाये तथा न्यायालय से अपने अधिकारों की घोषणा करवाये ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2917 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 2919 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 2921 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 2919 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 2921 रकबा 0.17 हैक्टर कुल किता 04 रकबा 0.77 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का निर्णय पारित किया जावे ।

4. प्रतिवादी ने परीक्षण न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.03.2011 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.03.2011 से व्यथित होकर प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में वादग्रस्त आराजी का नियमन जगन्नाथ पिता पांच्या जाति माली के नाम होना व नियमानुसार राजस्व अधिकारियों द्वारा दिनांक 27.07.1971 को संवत् 2022 से अतिक्रमण के आधार पर पट्टा जारी करना स्वीकार किया गया है फिर भी वादी का वाद खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.03.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी अपीलान्ट के वकील साहब श्री दिनेश शर्मा ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी नहीं दी । वादी अपीलान्ट मजदूरी करने के लिए जयपुर चला गया था । मजदूरी करने के उपरान्त वादी अपीलान्ट ने अपने पूर्व अभिभाषक से सम्पर्क कर पत्रावली के निर्णय की जानकारी ली गई तो उक्त निर्णय की जानकारी दी जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 06.05.2013 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया और दिनांक 09.05.2013 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

10. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में तहसीलदार, के0 पाटन द्वारा जारी असल पट्टा नियमन भूमि (अनकमाण्ड क्षेत्र) दिनांक 26.07.1971, असल जगन्नाथ का मृत्यु प्रमाण पत्र, असल मृत्यु प्रमाण पत्र जगन्नाथी बाई, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2071, संवत् 2072, संवत् 2074, संवत् 2075 एवं संवत् 2076 की सत्यप्रतिलिपियॉं, लगान एवं सिंचाई की रसीदों की प्रमाणित प्रतियॉं एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत जारी नोटिस मूल ही संलग्न हैं । उक्त समस्त दस्तावेज राजकीय दस्तावेज हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया था कि वर्तमान खसरा नम्बर 2917 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 2918 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 2919 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 2921 रकबा 0.17 हैक्टर कुल 04 किता की रकबा 0.77 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के कब्जे काश्त व अधिकार स्वामित्व की है जो सिवायचक है । बन्दोबस्त से पूर्व उक्त भूमि वादी के बडे भाई जगन्नाथ आत्मज पांच्या के नाम आवंटन हुई थी । आवंटन कब्जे के आधार पर नियमन किया गया था व नियमन का पट्टा जारी वादी के बडे भाई जगन्नाथ को तहसीलदार के0 पाटन के द्वारा पट्टा जारी किया गया था जो दिनांक 27. 07.1971 पट्टा नम्बर 639 था । जगन्नाथ को राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पास–बुक भी जारी की गई थी तभी से वादी का बडा भाई जगन्नाथ उक्त भूमि का विधिक खातेदार था। वादी के बडे भाई की मृत्यु दिनांक 23.03.1996 को हो गई और जगन्नाथ उक्त भूमि के खातेदार कृषक थे परन्तु वे काश्त दोनों भाई मिलकर करते थे । जगन्नाथ जी के

लाऔलाद फौत हो जाने से वादी उनरका उत्तराधिकारी होने से उक्त भूमि का मलिक खातेदार है । वादी मृत्यु जगन्नाथ का एकमात्र उत्तराधिकारी होने से वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किये जाने का कथन किया परन्तु परन्तु परीक्षण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया । लाखेरी नगरपालिका क्षेत्र में वाद–विषयक आराजी पेराफेरी में होने बाबत् केवल प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने अपने जवाबदावे में अभिवचन किया है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अधिसूचना अपने जवाबदावे के समर्थन में पेश नहीं की गई । प्रतिवादी के द्वारा जवाबदवा की चरण संख्या 03 में जगन्नाथ पिता पांच्या जाति माली के नाम वादग्रस्त आराजी का नियमन होना व नियमानुसार राजस्व अधिकारियों के द्वारा दिनांक 27.07.1971 को संवत् 2022 से अतिक्रमण के आधार पर पट्टा जारी करना स्वीकार किया गया है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का वर्तमान में कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादी अपीलान्ट हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक जगन्नाथ पुत्र पांच्या का द्वितीय श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारी वारिसान हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.03.2011 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2008 (2) पेज 1442, डीएनजे 2003 (3) पेज 1090, आरआरडी 2006 पेज 156, आरआरटी 2018 पेज 491, आरआरटी 2017 (I) पेज 619 उद्धृत की ।

12. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी अपीलान्ट ने संवत् 2022 से 2041 से पूर्व या बाद में वादग्रस्त आराजी जगन्नाथ के खाते में होने बाबत् कोई राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी वर्तमान में शहरी क्षेत्र की पेराफेरी की भूमि है जो किसी भी व्यक्ति के गैर खातेदारी/खातेदारी में दर्ज नहीं की जा सकती । परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 06 तनकी कायम कर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.03.2011 बहाल रखा जावे ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

14. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में वादी अपीलान्ट की ओर से दस्तावेजात में 80 सीपीसी का नोटिस प्रदर्श–1, डाक विभाग की रसीद प्रदर्श–2, रजिस्टर्ड एडी प्रदर्श–3, कार्यालय तहसीलदार तहसील के0 पाटन द्वारा जारी पट्टा नियमन दिनांक 27.07.71 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 4, मूल पट्टे की पास–बुक प्रदर्श–5, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत जारी नोटिस प्रदर्श–6 से 11, नकल खसरा परिवर्तनशील (पी–14) प्रदर्श– 12 से 27, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2040 से 2043 प्रदर्श–28, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–29 एवं 30 नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–31 एवं 32 पेश किये हैं ।

15. वादी की ओर से बयान पीडब्ल्यू– 1 चौथमल, पीडब्ल्यू– 2 कैलाश चन्द तिवारी, पीडब्ल्यू–3 बद्रीलाल कराये गये हैं ।

16. वादी अपीलान्ट के बडे भाई जगन्नाथ पुत्र पांच्या को बन्दोबस्त संवत् 2020 से 2041 से पूर्व नियमन का पट्टा कमांक 63 दिनांक 27.07.1971 जारी हुआ है जिसके अनुसार गत खसरा नम्बर 1683/2 की 06 बीघा 05 बिस्वा तथा 1686/1 की 03 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा भूमि का पट्टा बना है जिसके अनुसार खातेदार कृषक की पासबुक भी प्रदर्श– 5 पर पत्रावली में संलग्न है । वादी का बडा भाई जगन्नाथ के लाऔलाद मृत्यु दिनांक 23.03.1996 के बाद वादी अपीलान्ट स्वयं को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करवाना चाहता है परन्तु संवत् 2020 से 2041 से पूर्व उक्त आराजी के जगन्नाथ के खाते में होने बाबत् कोई राजस्व रिकॉर्ड/जमाबन्दी पेश नही की गई है । उक्त विवादित आराजी पर कब्जा काश्त के सम्बन्ध में कोई रिकॉर्ड पेश नही किया । किसी भी संवत् की जमाबन्दी/राजस्व रिकॉर्ड में आवंटी का नाम दर्ज नहीं होने के कारण प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में नहीं बनता है । पत्रावली में संलग्न तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 05.03.2010 के अनुसार मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 2917, 2918, 2919 व 2921 के गत खसरा 2534 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा एवं मिलान क्षेत्रफल संवत् 2022 से 2041 के अनुसार खसरा नम्बर 2534 के गत खसरा नम्बर 1687 मिन रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 1686 मिन रकबा 17 बिस्वा बना है । इस प्रकार खसरा नम्बर 2534 का साबिक खसरा नम्बर 1683 बनना नहीं पाया जाता है, जबकि वादी अपीलान्ट के बडे भाई जगन्नाथ को खसरा नम्बर 1683 में आवंटन है । खसरा नम्बर 2534 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा में साबिक खसरा नम्बर 1687 मिन का रकबा 17 बिस्वा भी शामिल है । इस प्रकार साबिक खसरा नम्बर का रकबा व हाल खसरा नम्बर के रकबे में पूर्ण रकबा मिलान नहीं होता है । हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 06 तनकी कायम की थी । परीक्षण न्यायालय ने प्रत्येक तनकी पर पक्षकरान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक तनकी के निष्कर्ष से सहमत हैं जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

17. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 09.03.2011 बहाल रखा जाता है ।

18. निर्णय आज दिनांक 14.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2013/00037

1. चौथमल आत्मज पांच्या उर्फ पांचूलाल जाति माली निवासी रामधन चौराहा लाखेरी (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   1/1. रूकमणी बाई आयु 65 वर्ष पत्नी चौथमल जाति माली निवासी रामधन चौराहा लाखेरी इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
   1/2. राजू सैनी आयु 46 वर्ष पुत्र चौथमल जाति माली निवासी रामधन चौराहा लाखेरी इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
   1/3. सतपाल सैनी आयु 42 वर्ष पुत्र चौथमल जाति माली निवासी रामधन चौराहा लाखेरी इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
   1/4. लक्ष्मीबाई आयु 38 वर्ष पुत्री चौथमल पत्नी रामलाल जाति माली निवासी पुलिस लाईन कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.03.2011 परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी।

वाद संख्याः 37/दावा/07

1. चौथमल आत्मज पांच्या उर्फ पांचूलाल जाति माली निवासी रामधन चौराहा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ।

———वादी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी।

---प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 09.03.2011 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 14.12.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री बालकिशन रायका, अपीलान्ट की ओर से एवं पैरोकार सरकार, रेस्पोन्डेन्ट की ओर से उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की अपील अपीलान्ट संख्या 2013/00037 खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2011 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 14.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा